पीरामल फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के रूप में ज्ञात) CIN: L65910MH1984PLC032639

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं.-601, 6वीं मंजिल, पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070; फोनः +91 22 3802 4000, शाखा कार्यालयः यूनिट नं. 01 और 09, भूतल, जीडी-आईटीएल नॉर्थ एक्स टॉवर, प्लॉट नं. ए-9, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 और प्लॉट नं.-6, ब्लॉक-ए, 2री मंजिल, सेक्टर 2, नोएडा-201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8-(1) और परिशिष्ट-IV के अनुसार]

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पिरामल फाइनेंस लि. (पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लि.) के अधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारको / गारंटरो को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटने का निर्देश दिया थो ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको/ गारंटरो को सूचित किया जाता है की अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13की उप-धारा (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है विशेष रूप से ऋणधारको और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि के लिए पिरामल फाइनेंस लि. (पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लि.) के चार्ज के अधीन होगा।

क्र सं	ऋणधारक(ओं)/गारंटर का नाम	प्रतिभूत संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1.	(लोन कोड नं.: 196DEL37623), (शाखाः सफदरजंग), आशा यादव (ऋणधारक), राजेश यादव (सह-ऋणधारक)	संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा और खंड -एच/फ्लैट नं. 8सी, मंजिल नं.: दूसरी, प्लॉट नं.: एलआईजी फ्लैट, प्रसाद नगर, गांव करोल बाग, नई दिल्ली, दिल्ली-110005	25-02-2025 रु. 38,28,783/- (रुपये अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार सात सौ तिरासी मात्र)	11-मई-2026

स्थानः दिल्ली दिनांकः 16.05.2026 (अधिकृत अधिकारी), पीरामल फाइनेंस लि.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 एवं 55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600 032

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट 4) नियम 8(1) के अधीन]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) नीचे वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों (नाम और पता नीचे वर्णित) से उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। यहां नीचे वर्णित कर्जदार तथा सर्वसाधारण को उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/टों का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
ऋण खाता संख्या HL24HAR000191569 1. श्रीमान/श्रीमती हरीश कौशिक 2. श्रीमान/श्रीमती श्वेता कौशिक पताः गली नंबर 10 राजेंद्र नगर, रुड़की हरिद्वार, नीरज स्वीट्स के पास, हरिद्वार, – 247667 अन्य पता : संपत्ति स्थित राजेन्द्र नगर गली नंबर 11, खसरा नंबर 32 एम, वैष्णो हार्डवेयर, राजेन्द्र नगर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड–247667	10-01-2026	रु 25,05,307/- (पच्चीस लाख पांच हजार तीन सौ सात रुपये मात्र) 09-01-2026 तक	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : एक आवासीय मकान जिसका भूमि माप क्षेत्र 516 वर्ग फीट है, खसरा नंबर 32एम से संबंधित गली नंबर 11, गाँव रुफीपुर परगना और तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में स्थित है, पूर्व में – पवन सैनी का मकान, पश्चिम में – श्री वेद प्रकाश का मकान, उत्तर में 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में – श्रीमती ममता का मकान	13-05-2026 (कब्जा)

स्थान : हरिद्वार हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 13-05-2026 चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

डीसीबी बैंक लिमिटेड

DCB BANK

ए–सेट हाउस, 7/56, डी.बी. गुप्ता रोड
करोल बाग नई दिल्ली– 110005

कब्जा नोटिस

अधोहस्ताक्षरी, डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (2002 का 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं **(उधारकर्ता और सह– उधारकर्ता)** से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि,जैसा कि सारणीबद्ध रूप में नीचे विस्तृत रूप में बताया गया है, सहित उस पर अतिरिक्त ब्याज को चुकाने का आह्वान किया गया है।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा हित नियम 2002 की धारा 14(1) के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 12 मई, 2026 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार नीचे उल्लेखित धनराशि डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

मांग नोटिस दिनांकित	06–03–2026
उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री जय प्रकाश पुत्र स्व. सतबीर सिंह, श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व. सतबीर सिंह और श्रीमती गायत्री पत्नी श्री सतबीर सिंह
ऋण खाता संख्या	DRBLROH00582046
कुल बकाया राशि	6 मार्च 2026 तक 97,96,127/–रुपये (केवल सत्तानबे लाख छियानबे हजार एक सौ सत्ताइस रुपये)
अचल संपत्ति का विवरण	संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश जिसकी आईडी नंबर 68 जी और 3बीसीएमआर773, पुरानी संपत्ति आईडी नंबर बीजीआर/डब्ल्यू17/68, वार्ड नंबर 17, खसरा नंबर 5420/2331, 5355/2335(0–7), 5358/2336(0–7), खेवट नंबर 152/129, 159/135, 162/130,खाता नंबर 192,205,213, वाका मोजा कबाड़ी मार्केट, सामने, देव स्पोर्ट्स, झज्जर रोड, बहादुरगढ़, मैक लिमिट के साथ, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा

दिनांकः 16.05.2026 हस्ता./–,
स्थानः, झज्जर प्राधिकृत अधिकारी,
डीसीबी बैंक लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

आंचलिक कार्यालय : सिविल लाईन, मुरादाबाद

शाखा : बुलंदशहर

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ता/प्रतिभूति को वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूतहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत (डिमांड नोटिस) मांग सूचना भेजे गये थे। आपको सूचित किया जाता है कि कृपया नीचे उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब्याज और लागत के साथ बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा बैंक SARFAESI अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत संपत्ति का कब्जा लेने के लिए आगे बढ़ेगा और बकाया राशि वसूलने के लिए इसे बेच देगा।

ऋणी /गारंटर का नाम व पता एवं खाता सं0	प्रतिभूमि/सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख 30.04.2026
1. मैसर्स अंजली काजू इंडस्ट्रीज, एक प्रोपराइटरशिप फर्म, प्रोपराइटर– श्रीमती पूनम सिंघल (फर्म/ऋणकर्ता) पताः ग्राम भीलेमपुरा, पोस्ट पन्नी नगर, बुलंदशहर। 2. श्रीमती पूनम सिंघल पत्नी श्री अजय सिंघल (प्रोपराइटर/ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता) पताः मकान संख्या 14/18, गली संख्या 01, मोह. सराय, लोधगन, रोडवेज बस स्टैंड के पास, आनंद विहार, बुलंदशहर, यूपी 203001 3. श्री अजय सिंघल पुत्र श्री मदन लाल (गारंटर/बंधककर्ता)। पताः मकान संख्या 14/18, गली संख्या 01, मोह. सराय, लोधगन, रोडवेज बस स्टैंड के पास, आनंद विहार, बुलंदशहर, यूपी 203001 सीसी खाता संख्या– 6916229530 और टर्म लोन खाता संख्या– 7117154176 इंडियन बैंक बुलंदशहर शाखा	आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल और उस पर निर्मित निर्माण स्थित मकान संख्या 14/18 गली संख्या 01 मोह. सराय लोधगन, रोडवेज बस स्टैंड के पास, आनंद विहार, बुलंदशहर, यूपी 203001, क्षेत्रफल 83.66 वर्ग मीटर, एस.आर. बुलंदशहर कार्यालय, क्रम संख्या 8640, बुक संख्या 1, जिल्द संख्या 8952, पृष्ठ संख्या 87 से 100, दिनांक 10.11.2023, क्रम संख्या 8640, दिनांक 10.11.2023 को पंजीकृत, जिसकी सीमायें इस प्रकार है: पूर्वः पुष्कर शर्मा का मकान, पश्चिमः मदन लाल सिंघल का प्लॉट, उत्तरः 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः श्रीवास्तव जी का मकान। मालिक/ शीर्षक धारकः श्री अजय सिंघल पुत्र श्री मदन लाल, निवासी मकान संख्या 14/18, गली नं. 01, मोह. सराय, लोधगन, रोडवेज बस स्टैंड के पास, आनंद विहार, बुलंदशहर, यूपी 203001 दृष्टिबंधक संपत्तियांः मैसर्स अंजली काजू इंडस्ट्रीज के संयंत्र एवं मशीनरी, स्टॉक और बही खाते, स्थित ग्राम भीलेमपुरा, पोस्ट पन्नी नगर, बुलंदशहर।	एन पी ए की तारीख 28.04.2026 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस भेजने की तारीख– 30.04.2026 डाक विभाग द्वारा डिमांड नोटिस (रजिस्टर्ड) वापसी की तारीख– 14.05.2026 नोटिस के अनुसार देय राशि रु0 37,74,632.00 दिनांक 29.04.2026 से + ब्याज एवं अन्य खर्चे आदि दिनांक 30.04.2026 तक

दिनांक– 15.05.2026 स्थान : मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी

आरबीएल बैंक लिमिटेड

RBL BANK apna ka bank

प्रशासनिक कार्यालय : प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर–416001
शाखा कार्यालय : सम्पत्ति सं. 1, प्रथम तल, मोदी मिल्स के सामने, ओखला फेज–3, नई दिल्ली–110020

सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 (2) के तहत सूचना का प्रकाशन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई क्रेडिट/लोन सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के प्रतिभुगतान में चूक की है और उनके ऋण खाते अनार्जक आस्ति (एनपीए) की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनको उनके अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13 (2) के तहत सूचनाएं जारी की गई थीं।

क्र. सं.	कर्जदार, सह–कर्जदार/ गारंटर/बंधकदाता का नाम एवं पता	ऋण खाता सं.	सम्पत्तियों का विवरण/प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूत आस्ति का पता	सूचना की तिथि / बकाया राशि रू. में
1.	1. मोहम्मद आदिल रईस 241/20, फ्लैट नंबर 102, संजीदा अपार्टमेंट बाग काजी, ब्रेन्स कॉन्वेंट स्कूल, याहियागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226003 अन्य पता : मोहम्मद आदिल रईस मालिक–आदिल ट्रेडर्स दुकान नंबर 14, सीसी 64 गैलेक्सी बिल्डिंग, तहसीनगंज, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226003 अन्य पताः मोहम्मद आदिल रईस दुकान नंबर 02, एलजीएफ, सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव मार्ग, झाऊलाल बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226003 2. श्रीमती कहकशां रईस : 241/20, फ्लैट नंबर 102, संजीदा अपार्टमेंट बाग काजी, ब्रेन्स कॉन्वेंट स्कूल, याहियागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226003	809010 358677	एक किता दुकान नंबर–2, निचला भू तल, प्लॉट नंबर 05 पर निर्मित, रकबा 200 वर्ग फीट यानी 18.587 वर्ग मीटर, मोहल्ला बाजार, झाऊ लाल (सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव मार्ग), वार्ड रानी लक्ष्मी बाई, तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित इस प्रकार सीमाबद्ध : पूर्वः दुकान नं. 01 पश्चिमः दुकान नं. 03 उत्तरः चौधरी बशीर हुसैन पैलेस दक्षिणः मार्ग 3 फीट चौड़ा	13–05–2026 रु. 41,81,228/– (रुपये इकतालिस लाख इक्यासी हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र) संविदा दर पर ब्याज (पूरा पेमेंट होने तक) और उस पर होने वाले खर्चों के साथ।
2	1. श्री शाहीन अंसारी प्रोपराइटर– शाहीन एंटरप्राइजेज मकान नंबर 102–ए, ए ब्लॉक, आज़ाद नगर, बनौरा हुसैनबाड़ी, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226003 2. श्री मोहम्मद सुहैल अंसारी मकान नं. 102–ए, ए ब्लॉक, आज़ाद नगर, बनौरा हुसैनबाड़ी, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226003 अन्य पता : श्री मोहम्मद सुहैल अंसारी संपत्ति, जो प्लॉट खसरा नं. 124 मिन, ग्राम महिपतमऊ, परगना, तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001 पर स्थित है	809008 660199	भूमि और भवन के रूप में खसरा संख्या 124 पर संपत्ति/प्लॉट, क्षेत्रफल परिमाप 1361 वर्ग फीटयानी 126.486 वर्ग मीटर, ग्राम महिपतमऊ, परगना, तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश इस प्रकार सीमाबद्ध : पूर्वः सड़क 6 फीट चौड़ी पश्चिमः अजीज बानो का प्लॉट उत्तर : आराजी दीगर दक्षिणः रास्ता 20 फीट चौड़ा	12–05–2026 रू. 26,11,005.98 (रू. छब्बीस लाख ग्यारह हजार पांच और पैसे अट्ठानवे मात्र) संविदा दर पर ब्याज (पूरा पेमेंट होने तक) और उस पर होने वाले खर्चों के साथ।

उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा उनके गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) (जहां कहीं लागू है) से उपरिवर्णित बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **60 दिन** के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप–धरा (4) के तहत आगे कार्यवाही की जाएगी।

कृपया नोट करें कि यह प्रकाशन उक्त ऋण/सुविधा के कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) के विरूद्ध बैंक को उपलब्ध अधिकारों तथा उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना किया जा रहा है। आपसे आगे अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत आप उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का हस्तांतरण बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से, लिखित पूर्व सहमति के बिना नहीं कर सकते हैं।

स्थान : लखनऊ, उत्तर प्रदेश
दिनांक : 16–05–2026 प्राधिकृत अधिकारी
आरबीएल बैंक लिमिटेड

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 एवं 55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600 032

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट 4) नियम 8(1) के अधीन]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) नीचे वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों (नाम और पता नीचे वर्णित) से उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। यहां नीचे वर्णित कर्जदार तथा सर्वसाधारण को उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/टों का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
ऋण खाता संख्या HL05DOA000056512 1. श्री/श्रीमती कृष्ण चंद विश्वकर्मा 2. श्री/श्रीमती मुन्नी केशरी लाल पता : सलेमपुर हरिया, देवरिया उत्तर प्रदेश, निकट एक्सीलेंट जूनियर हाई स्कूल, देवरिया उत्तर प्रदेश – 274509	24-02-2026	रु. 21,34,345/– (रुपये इक्कीस लाख चौंतीस हजार तीन सौ पैंतालीस मात्र) 20–02–2026 तक	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति क्षेत्रफल 5 डिसमिल यानी 2180 वर्ग फीट आराजी नंबर 288, मौजा– अहिरौली, टप्पा– सलेमपुर, परगना– सलेमपुर मझौली, तहसील– सलेमपुर जिला– देवरिया (उत्तर प्रदेश) में स्थित है और सीहद्दी निम्नानुसार है– पूरब–13' फीट चौड़ी रोड, पश्चिमः– त्रिभुवन लाल की जमीन, उत्तरः – उदय राज की जमीन, दक्षिणः त्रिभुवन लाल की जमीन	12-05-2026 (कब्जा)

स्थान : देवरिया हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 12-05-2026 चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

AUTHUM

पंजीकृत कार्यालय : 707, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400 021, दूरभाष : (022) 6747 2117, फैक्स : (022) 6747 2118, ई–मेल : Info@Authum.com शाखा पता : कार्यालय सं. 1216–1220, 12वीं तल, नौरंग हाउस, भूखण्ड सं.–21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली– 110001

मॉंग सूचना

जबकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("एआईआईएल") (परिणामी कंपनी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ("आरसीएफएल") से एआईआईएल में एनसीएलटी के आदेश दिनांक 10.05.2024 के तहत ऋण व्यवसाय के विभाजन के बाद बनी) से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, इस बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूल राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एआईआईएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, खाते को एआईआईएल की पुस्तकों में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों के अनुसार, नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक नोटिस में उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ चुकाने का आह्वान किया गया है। उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी किए गए नोटिस बिना तामील के वापस आ गए हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र सं.	ऋण सं. / उधारकर्ता का नाम / पता	सह–उधारकर्ता तथा गारंटर का नाम / निदेशक का नाम	एनपीए तिथि	मॉंग सूचना की तिथि	बकाया राशि	ऋण राशि
1.	RHLPDEL130050070 RHLFDEL000050097/ दिवेश पोपली /84, पुष्पांजलि, विकास मार्ग, दिल्ली–110092	श्री राज कुमार पोपली, श्री ओम प्रकाश पोपली, श्री हरीश पोपली, अंबादीप एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री ललित कुमार पोपली और श्रीमती कविता पोपली (दिवंगत)	12-2020 31–12–2020	08-05-2026 08–05–2026	रु. 10,13,93,035.05 (रुपए दस करोड़ तेरह लाख तिरानबे हजार पैंतिस तथा पांच पैसे मात्र) ऋण खाता RHLPDEL130050070 / RHLFDEL000050097	रु. 4,40,00,000/– (रुपए चार करोड़ चालीस लाख मात्र) ऋण खाता RHLP-DEL130050070 / RHLF-DEL000050097

बंधक संपत्ति का विवरण :– आवासीय संपत्ति का वह पूरा भाग एवं अंश, जिसका क्रमांक है– 1. आधा तहखाना (B–2), छत तक का ढका हुआ/प्लिथ क्षेत्र 46.45 वर्ग मीटर; धानी लगभग 500 वर्ग फुट; 2. पूरी दूसरी मंजिल, 3. छत/अधिकारों सहित पूरी तीसरी मंजिल, जिसका ढका हुआ क्षेत्र 173.12 वर्ग मीटर है; प्रत्येक मंजिल, अर्थात् कुल ढका हुआ/प्लिथ क्षेत्र 392.69 वर्ग मीटर (लगभग), जिसमें उस पर निर्मित सभी संरचनाएं, साज्जा सीढ़ी, मार्ग, प्रवेश द्वार और लिफ्ट शामिल हैं, साथ ही स्टिल्ट (या कहें मुख्य प्रवेश द्वार से स्टिल्ट का बायां भाग) में पचास प्रतिशत अविभाजित हिस्सा, साथ ही नीचे की संपूर्ण भूमि में पचास प्रतिशत अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकार, जिसमें सभी फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, उस पर खड़ी संरचनाएं शामिल हैं, साथ ही उसमें प्रदान की गई अन्य सभी सामान्य सुविधाओं और सुख–सुविधाओं में सभी अधिकार, उक्त फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति पर निर्मित, संख्या सी–43 (प्लॉट संख्या– 43, ब्लॉक–सी), भूमि क्षेत्र 230.83 वर्ग मीटर। (अर्थात 276.08 वर्ग गज), रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड, आनंद विहार कॉलोनी, दिल्ली–110092 के लेआउट प्लान में स्थित, जो इस प्रकार घिरा है: पूर्व – 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम – संपत्ति संख्या सी–44, उत्तर – सर्विस लेन, दक्षिण – 30 फीट चौड़ी सड़क।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और / या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लागू शुल्कों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिस कार्रवाई में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत विरचित प्रयोज्य नियमावली के अंतर्गत उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना सम्मिलित है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा।

दिनांक : 16–05–2026, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत, शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

नियम 8(1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(ए) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्र